

आर टी आई मामला/समयबद्ध

फा. सं. II-18015/73/2013-एन एम.|||

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल-प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक, २६ दिसम्बर, 2013

सेवा में

श्री सत्य नारायण प्रसाद
1, जय भारत एन्कलेव
गली नं. 2, साहिबाबाद
गाजियाबाद

विषय: आपके दिनांक 12.11.2013 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।


कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 12.11.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2013-आर टी आई का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त आवेदन के तहत मांगी गई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, आपके आवेदन की प्रतियां इस मंत्रालय के अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को भेजी जा रही हैं ताकि उपलब्ध सूचना मुहैया कराई जा सके।

3. उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है तथा इस सूचना के संबंध में अपील श्री ए. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्षा सं. 193-सा., नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

R&I
PA. I.M.
m
30/12

प्रतिलिपि प्रेषित:-



O/C

21 दिसंबर 2013
(रमेश कुमार सिंह)

निदेशक (नक्सल-प्रबंधन) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

1. श्री दलजीत सिंह चौधरी, निदेशक (ए एन ओ-1) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2013 के आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (1) से (6) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
2. श्री रमेश कुमार सुमन, निदेशक (आई एस-11) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2013 के आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (2), (4), (5) और (6) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
3. श्री आशीष वी गवई, अवर सचिव (एन एस ए एवं सी डी एन) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11 भवन, नई दिल्ली को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के बिंदु सं. (7) के तहत मांगी गई उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधी भेजी जा सके।
4. श्री वी. के. राजन, उप सचिव (स्था.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

30.12. P

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 11/12/2013

कार्यालय जापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/मुख्यमंत्री

के आवेदन का अंतरण।

इस मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/मुख्यमंत्री का टिनांक 12--/11--/2013 का आवेदन के प्राप्त हुआ है (14--/11--/2013 को प्राप्त)। यह को अपेक्षित सूचना इकाई का नाम/एकाई/प्राप्ति-मंत्रालय/विभाग से संबंध रखती है। के कार्यों से निकटता से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे सीधे उस प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने रसीद संख्या 27458 दिनांक: 19--/11--/2013 (प्रति संलग्न) के माध्यम से 10/- रुपए का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है/अदा चाहीं किया है क्योंकि वह नसीदी रेखा से बीचे के बर्य से संबंधित हैं।

वी के राजन
(वी.के. राजन)

उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा से:

(1) भावुक लक्ष्मण (आर टी आई) 11/12/2013 द्वारा दिया गया कलापना नामक
जानकारी का नामित है (कलापना-87910)

नदेश्वर (रु. 100)
प्रत्याक्षर
नाम लोक, नामित है

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित:

श्री/श्रीमती/मुख्यमंत्री
प्रत्यक्षर नदेश्वर
21/11/2013-2 लाइब्रेरी (11/12/2013)

(O.V.S)

(उनसे, मामले में आगे की सूचना के लिए ऊपर-उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।)

8. vikas
1301/NM-III
16/12/2013

1301/NM-III
16/12/2013

यद्यपि के सफल भविष्य के लिए, निम्नसित अट्रीटमेंट को लिए, नवराजनाद उत्तुलन के लिए, रथारी शांति के लिए – जनसंख्या रोकिये।
कुछ लोग भारत की स्वतंत्रता से लगते हैं, मैं ही हमारे मिशन जनसंख्या नियंत्रण को सफल नहीं होने दे रहे हैं। ये भारत का पर्याप्त प्रतीक को स्वतंत्रता उपयोग करता रहे हैं।

प्रगति है उत्तराखण्ड प्रसाद व फैलिंग तुफान – भारत में ही रथा राज्य का अपमान।

सेवा में,

दिनांक: 12/11/2013

जनसूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय, भारत सरकार


नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली।

विषय:— जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

कृपया सूचना दें।

1. 01 जनवरी 2001 से आज तक यानि दिनांक 10 अक्टूबर 2013 तक कितने आण आदमी नक्सलवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं?
2. कितने नागरिक आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं?
3. कितने नक्सलवादी मारे गये हैं?
4. कितने आतंकवादी मारे गये हैं?
5. कितने सेनियर राज्य रत्नीय पुलिस (भारत के राजी राज्यों से) शहीद हुए हैं?
6. कितने राजस्व की सरकारी वाहन व सरकारी भवन नष्ट किये गये हैं?
7. 2001 से आज तक यानि दिनांक 10 अक्टूबर 2013 तक केंद्र रत्नीय आतंकवादी गतिविधियों के शिकार लोगों को कितनी सहायता/मुहावजा राशि वितरित की गयी है?



साथ ही यह भी सूचना दें:-

8. भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर सालाना किंतनी राशि व्यय करती है?
9. जनसंख्या नियंत्रण हेतु दी गयी विज्ञापन के लिए भारत सरकार दुरदर्शन को 2011-12 व 2012 - 13 में कितनी राजस्व अदा की थी अथवा किया जाना है?
10. जनसंख्या नियंत्रण हेतु दी गयी विज्ञापन के लिए भारत सरकार अन्य किन किन वैनलों को 2011-12 व 2012 - 13 में कितनी-कितनी राशी अदा की थी अथवा किया जाना है?

नोट: ये सब सरकारी गुकरान हमारे मिशन, मिशन ए पोपुलेशन कंट्रोल" की सर्वप्रिय नीति को भारत सरकार द्वारा गजर अन्वाज करने के कारण हुआ है। हमारा मिशन है नक्सलवादियों के खिलाफ सरकारी कार्यवाही हो, लेकिन नयी नक्सलवाद ऐदा न हो इस हेतु भारतीय नागरिकों को राष्ट्रधर्म के तहत पोपुलेशन कंट्रोल की सर्वप्रिय नीति, प्रसार करने साबितना।

लेकिन भारतीय व्यवस्था राजनीति व्यापार के तहस देश छाना रही है। जो मानव जीवन को नष्ट होने पर मुआवजा देती है।

संलग्न है: रूपये 10 का पोर्टल आर्डर।

एक भारतीय सिर्फ भारतीय

सत्य नारायण प्रसाद